POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 05.07.2025

1. थाना बिसरख पुलिस द्वारा नोट बदलने के नाम पर पैसो की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 03 लक्जरी कार, धोखाधडी/ठगी की नगदी (483500रूपये) बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- वादी मुकदमा की दोस्ती विवेक मिश्रा पुत्र राधेश्याम मिश्रा निवासी एसोटेक द बर्ड सोसाइटी थाना क्रोसिंग रिपब्लिक मूल पता ग्रा0- इब्राहिमपुर थाना सम्पूर्णानगर जिला लखीमपुर खीरी से हुई यह लोग आपस में व्यापार भी करते थे। विवेक मिश्रा की दोस्ती पवन कुमार मिश्र पुत्र हरिहर प्रिकाश मिश्रा निवासी पूरे मेंदी मिश्र, थाना धम्मौर जिला अमेठी से हुई। पवन कुमार मिश्रा भी गा0बाद में लॉजिस्टिक का कार्य करता है और क्रोसिंग रिपब्लिक में ही निवास करता है। पवन कुमार मिश्रा वादी मुकदमा व उसके साथी विवेक मिश्रा को लोकेश मिश्रा उर्फ अनिल शर्मा पुत्र प्रभुदयाल मिश्रा निवासी ग्रा0- शक्ति भैरव थाना सन्दरी जिला निवाडी मध्य प्रदेश व अरमान पुत्र विजय निवासी ग्रा0 मोर पट्टी थाना नरवाना जिला जीन्द हरियाणा से बिसरख में मिलवाया और इन लोगो ने वादी मुकदमा तथा उसके साथी को समझाया कि यदि तुम दोनो हम लोगो को 500-500 की बडी नोट 10 लाख रुपये दोगे तो हम लोग तुरन्त 100 व 200 की छोटी नोट के रुप में तुम लोगो को 12 लाख रुपये वापस कर देगे। जिस तरह से तुम लोग तुरन्त 2 लाख रुपये मुनाफा कमा सकते हो। इस प्रकार अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा रोबिन तथा उसके साथी हम लोगो को पैसा कमाने का लालच देकर काफी बहलाया फुसलाया। इनकी बातों में आकर वादी मुकदमा रोबिन अपने साथी विवेक मिश्रा के साथ दिनांक 01/07/2025 को चेरी काउंटी बिसरख स्थित पैट्रोल पम्प के पास पहुंचे और दस लाख रुपये का थैले में पवन कुमार मिश्रा व पहले से मौजूद लोकेश को दिखाने लगे कि लोकेश मिश्रा उर्फ अनिल शर्मा, अरमान, संजीव, पवन मिश्रा ने मिलकर एक साथ चकमा देकर रूपयों से भरा बैग वादी मुकदमा रोबिन उपरोक्त के हाथ से लेकर मौके पर खडी तीन अलग- अलग कारो में बैठकर फरार हो गये। अभियुक्तगणों की काफी तलाश करने के बाद वादी मुकदमा के द्वारा थाना बिसरख पर एक लिखित तहरीर दी गई जिसके आधार पर थाना बिसरख पर मु0अ0सं0 470/2025 धारा 316(2) बीएनएस दिनांक 03.07.2025 को पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही का विवरण-- थाना **बिसरख पुलिस** दिनांक **05.07.2025** को एक 6 प्रतिशत प्लाट एरिया रोजायाकूबपुर के पास अभियुक्तगण 1. लोकेश मिश्रा उर्फ अनिल शर्मा पुत्र प्रभुदयाल मिश्रा निवासी ग्रा0- शक्ति भैरव थाना सन्दरी जिला निवाडी मध्य प्रदेश.2. पवन कुमार मिश्र पुत्र हरिहर प्रिकाश मिश्रा निवासी पूरे मेंदी मिश्र,थाना धम्मौर जिला अमेठी,3. संजीव पुत्र सुनील निवासी मोर पट्टी बाल्मिकी मौहल्ला कस्वा नरवाना जिला

जीन्द हरियाणा को घटना में प्रयुक्त वाहन कार 1.सलाविया रजि0न0डीएल 7 सी डब्ल्यू 6906 .2.आई-20 रजि0न0 डीएल 12 सीजी 4283 3.स्कार्पियों रजि0न0 यूपी 14 जीके 1733 व ठगी किये गये रूपये में से 483500 रुपये के साथ **गिरफ्तार** किया गया।

पूछताछ विवरण-- अभियुक्त लोकेश मिश्रा उर्फ अनिल शर्मा ने पूछने पर बताया कि हमारे गिरोह में अरमान, संजीव निवासी हरियाणा तथा पवन मिश्रा निवासी अमेठी शामिल है। पवन मिश्रा भोले भाले पैसे वाले लोगो से सम्पर्क करता है और उनको बडे नोट के बदले में बढाकर छोटे रूपये के नोट वापस करने का प्रलोभन देता है और उनको हम लोगो के साथ मीटिंग कराता है। हम लोग भी उनको समझा बुझाकर जल्दी ज्यादा पैसे कमाने का लालच देकर तैयार कर लेते है और नियत तारीख , स्थान व समय पर पवन मिश्रा पार्टी के पैसो को चैक करके निर्धारित स्थान पर लाता है। तब हम लोग मौका देखकर अचानक चकमा देकर मौके से भाग जाते है और आपस में हिस्सा बांट लेते है। पवन मिश्रा ने इस पार्टी से पहले भी दो और पार्टियों से हम लोगो की मीटिंग करायी थी लेकिन वह पार्टिया तैयार नही हुई थी। मेरे पास तीन चार पहिया वाहन क्रमशः सलाविया, आई-20, स्कार्पियों है,जिनका प्रयोग हम लोग ऐसी घटना कारित करने में करते है। मै पहले भी ऐसी घटना में ही जिला गाजियाबाद , झांसी से जेल जा चुका हूँ।

अभियुक्त पवन कुमार मिश्र पुत्र हरिहर प्रिकाश मिश्रा निवासी पूरे मेंदी मिश्र,थाना धम्मौर जिला अमेठी ने पूछने पर बताया कि मै लॉजिस्टिक का व्यापार करता हूँ जिस कारण मेरी अच्छे पैसे वाले लोगो में उठना बैठना जान पहचान रहती है। मेरे गिरोह का मुखिया लोकेश मिश्रा उर्फ अनिल मिश्रा है। हम लोग जल्दी पैसा कमाने वाले भोले भाले लोगो से सम्पर्क करते है और उनको बडे नोट के बदले में बढाकर छोटे रूपये के नोट वापस करने का प्रलोभन देते है और उन लोगो के साथ अपने साथियों की मीटिंग कराते है ।मै उन लोगो को समझा बुझाकर जल्दी ज्यादा पैसे कमाने का लालच देकर तैयार कर लेते है और नियत तारीख , स्थान व समय पर अपने गिरोह के साथ निर्धारित स्थान पर लाता हूँ। तब हम लोग मौका देखकर अचानक रूपये छीन कर भाग जाते है और आपस में हिस्सा बांट लेते है। इस बार हमने रोबिन ,विवेक मिश्रा से सम्पर्क किया और उनके 500-500 रूपये के बडे नोट 10 रूपये के बदले में 100 तथा 200 रूपये के 12 लाख (2 लाख रूपये बढाकर) वापस देने का प्रलोभन देने के लिए तैयार किया और दिनांक 01.07.2025 को रोबिन तथा विवेक मिश्रा को चैरीकाउन्टी के पास स्थिति पेट्रोल पम्प पर बुलाया और रूपये देखने के बहाने अचानक रूपये से भरा बैग मैने लोकेश , अरमान, संजीव, के साथ मिलकर रोबिन के हाथ से लेकर चकमा देकर मौके से भाग गये थे। हम लोग पार्टिओं से अपना असली नाम छुपा लिया करते थे। लोकेश को मैने रोबिन से अनिल शर्मा नाम बताकर मिलवाया था।

अभियुक्त संजीव पुत्र सुनील निवासी मोर पट्टी बाल्मिकी मौहल्ला कस्वा नरवाना जिला जीन्द हरियाणा ने पूछने पर बताया कि लोकेश हमारी गैंग का मुखिया है हमारे गिरोह में लोकेश मिश्रा उर्फ अनिल मिश्रा, अरमान निवासी हरियाणा तथा पवन मिश्रा निवासी अमेठी शामिल है। पवन मिश्रा भोले भाले पैसे वाले लोगो से सम्पर्क करता है और उनको बडे नोट के बदले में बढाकर छोटे रूपये के नोट वापस करने का प्रलोभन देता है और उनको हम लोगो के साथ मीटिंग कराता है। हम लोग भी उनको समझा बुझाकर जल्दी ज्यादा पैसे कमाने का लालच देकर तैयार

कर लेते है और नियत तारीख , स्थान व समय पर पवन मिश्रा पार्टी के पैसो को चौक करके निर्धारित स्थान पर लाता है। तब हम लोग मौका देखकर चकमा देकर मौके से भाग जाते है और आपस में हिस्सा बांट लेते है। पवन मिश्रा ने इस पार्टी से पहले भी दो और पार्टियों से हम लोगो की मीटिंग करायी थी लेकिन वह पार्टिया तैयार नही हुई थी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण व आपराधिक इतिहास--

- **लोकेश मिश्रा उर्फ अनिल शर्मा पुत्र प्रभुदयाल मिश्रा निवासी ग्रा0- शक्ति भैरव थाना सन्दरी जिला निवाडी मध्य प्रदेश--**
    1. मु0अ0सं0 274/2021 धारा 420, 411 थाना सीपरी जिला झांसी उ0प्र0
    2. मु0अ0सं0 017/2024 धारा 420/406/120बी411/419/467/468 भादवि थाना नन्दग्राम जिला गाजियाबाद
    3. मु0अ0सं0 470/2025 धारा 316(2), 317(2) बीएनएस थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर

- **पवन कुमार मिश्र पुत्र हरिहर प्रकाश मिश्रा निवासी पूरे मेंदी मिश्र,थाना धम्मौर जिला अमेठी--**
    1. मु0अ0सं0 470/2025 धारा 316(2), 317(2) बीएनएस थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर

- **संजीव पुत्र सुनील निवासी मोट पट्टी बाल्मिकी मौहल्ला नरवाना थाना नरवाना सिटी जिला जीन्द हरियाणा--**
    1. मु0अ0सं0 470/2025 धारा 316(2), 317(2) बीएनएस थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण--

घटना में प्रयुक्त 03 कार क्रमश--

1. सलाविया रजि0न0 डीएल 7सीडब्ल्यू 6906
2. आई-20 रजि0न0 डीएल 12 सीजी 4283
3. स्कार्पियों रजि0न0 यूपी 14 जीके 1733

483500/- रूपये सम्बन्धित मु0अ0सं0 470/2025 धारा 316(2), 317(2) बीएनएस थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर

2. थाना नॉलेज पार्क कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर द्वारा जिला बदर होने के उपरांत जिले की सीमा में अवैध तरीके से निवास करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- थाना **नॉलेज पार्क पुलिस** द्वारा दिनांक **05.07.2025** को अभियुक्त दीनू पुत्र मुख्त्यार निवासी हल्दौना तुगलपुर थाना नॉलेज पार्क कमि0 गौतमबुद्धनगर को नॉलेजपार्क 01 से **गिरफ्तार** किया गया है। इस सम्बन्ध में थाना नॉलेजपार्क पर मु0अ0सं0 143/2025 धारा 10 गुण्डा अधिनियम पंजीकृत किया गया है।

अपराध कारित करने का तरीका-- अभि0 को माननीय विशेष न्यायालय अपर पुलिस आयुक्त, कानून एंव व्यवस्था कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के वाद सख्या 19/2023 धारा 2/3 उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1970 बनाम दीनू उपरोक्त थाना नॉलेज पार्क में निर्णय दिनांक 28.05.2025 को जनपद गौतमबुद्धनगर की सीमा से 03 माह की अवधि के लिए जिला बदर घोषित किये जाने व नोटिस तामील होने के उपरांत जिला गौतमबुद्धनगर की सीमा में निवास करना।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

दीनू पुत्र मुख्त्यार निवासी हल्दौना तुगलपुर थाना नॉलेज पार्क कमि0 गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0-403/2021 धारा 420/406/323/504/506 भादवि थाना नॉलेज पार्क, गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0सं0-508/2021 धारा 380/457 भादवि थाना नॉलेंज पार्क, गौतमबुद्धनगर
3. मु0अ0सं0-39/2020 धारा 380/411 भादवि थाना नॉलेज पार्क, गौतमबुद्धनगर
4. मु0अ0सं0-40/2021 धारा 414 भादवि थाना नॉलेज पार्क, गौतमबुद्धनगर
5. मु0अ0सं0-42/2020 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना नॉलेज पार्क, गौतमबुद्धनगर
6. मु0अ0सं0-87/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना नॉलेज पार्क, गौतमबुद्धनगर
7. मु0अ0सं0-673/2018 धारा 41/102 सीआरपीसी व 411/414 भादवि थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनग
8. मु0अ0सं0-28/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर
9. मु0अ0सं0 143/2025 धारा 10 गुण्डा अधि0 थाना नॉलेजपार्क